

समस्त शाखा प्रबन्धक

उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०,

उत्तर प्रदेश।

विषय-डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डी०इ०डी०एस०)सामान्य और अनुसूचित जन जाति वर्ग के अन्तर्गत नये आवेदनों की प्राप्ति का स्थायी स्थगन लेने के सम्बन्ध में।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं०-सी-106/तक० प्रको०/2016-17, दिनांक 23.1.2017 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके द्वारा नाबार्ड, लखनऊ के परिपत्रांक-293/डॉर-68/2016-17, दिनांक-20.12.2016 की छाया प्रति संलग्न करते हुये आवश्यक कार्यवाही निष्पादित करने के निर्देश दिये गये है। नाबार्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-रा बै /उप्र क्षे का लख/डार- एल टी/डी०इ०डी०एस० /1623/16-17, दिनांक 27.3.2017 के माध्यम से नाबार्ड द्वारा वांछित दिनांक 21.11.2016 से 31.3.2017 तक शाखा द्वारा उपर्युक्त योजनान्तर्गत प्राप्त ऋण प्रार्थना पत्रों की शाखा में प्राप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित करते हुये संलग्न प्रारूप पर प्रमाण पत्र अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त जनपदीय प्रबन्धक उ०प्र०सह०ग्राम विकास ग्राम विकास बैंक लि०को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रतिअपने जनपद की समस्त शाखा प्रबन्धकों को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबंधक(आई०टी०सेल) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को बैंक की समस्त जनपदीय शाखाओं को ई-मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. सहायक महाप्रबंधक,राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय-लखनऊ।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबंधक(तक०)